

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

1. अपील संख्या: 61/20  
(जीसीएमएस संख्या 2020/00217)

निर्णय दिनांक:- 12-01-2023

1. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. सुन्दर देवी पत्नी ईश्वरराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साधासर जरिए मैनेजर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

—रेस्पोंडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्या: 62/20  
(जीसीएमएस संख्या 2020/00209)

1. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।


—अपीलांत

—बनाम—

1. सुन्दर देवी पत्नी ईश्वरराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साधासर जरिए मैनेजर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

✓ 3. अपील संख्या: 63/20  
(जीसीएमएस संख्या 2020/00210)

1. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. सरस्वती पत्नि बीरबलराम } जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर
2. संजू पुत्री बीरबलराम } तहसील व जिला बीकानेर।
3. सुन्दर देवी पत्नी ईशरराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

-रेस्पोडेन्ट्स

4. अपील संख्या: 64/20  
(जीसीएमएस संख्या 2020/00211)

1. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।


-अपीलांट

-बनाम-

1. परमेश्वरी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. सरस्वती पत्नि बीरबलराम } जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर
3. संजू पुत्री बीरबलराम } तहसील व जिला बीकानेर।
4. सुन्दर देवी पत्नी ईशरराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

-रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

  
अपील अधिकारी  
बीकानेर



5. अपील संख्या: 01/21  
(जीसीएमएस संख्या 2021/5)

1. परमेश्वरी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांत

-बनाम-

1. सरस्वती पत्नि बीरबलराम } जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर  
2. संजू पुत्री बीरबलराम } तहसील व जिला बीकानेर।  
3. सुन्दर देवी पत्नी ईशराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा



6. अपील संख्या: 02/21  
(जीसीएमएस संख्या 2021/6)

1. आसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।


-अपीलांत

-बनाम-

1. परमेश्वरी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।  
2. सरस्वती पत्नि बीरबलराम } जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर  
3. संजू पुत्री बीरबलराम } तहसील व जिला बीकानेर।  
4. सुन्दर देवी पत्नी ईशराम निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।  
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट (अपील सं. 01/2021)
3. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स
4. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020 जिसके द्वारा एकतरफा तौर पर विधि विरुद्ध तरीक से दावा डिक्री किया गया व विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।



2. प्रस्तुत सभी छः अपीलों में निर्णय किये जाने हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण सभी पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति सभी छः पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने पत्रावलियों पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम उतमामदेसर के गत् खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 67 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा इस प्रकार कुल 154 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के पिता जेठाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा सड़क पर अवाप्त होने के उपरान्त कुल तादादी 146 बीघा 08 बिस्वा भूमि शेष रहती है तथा उक्त शेष रही भूमि के अपीलांट्स के पिता बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं। अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि में से 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी गई तथा शेष भूमि अर्थात् 113 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के पिता के नाम खातेदारी चली आ रही है। अपीलांट के पिता जेठाराम की मृत्यु के उपरान्त उसके

राजस्थान हाईकोर्ट अधिकारी  
बीकानेर

उत्तराधिकारियों में दो पुत्र रेस्पोडेन्ट्स आसाराम व केशराराम तथा मु. मधी बेवा तथा माता मोहनी देवी हुए। मु. मेधी व माता मोहनी का स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त भूमि अपीलांट एवं उसका भाई के केशराराम का 1/2 - 1/2 हक व हिस्सा निहित हुआ। दौराने सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि ग्राम उत्तमादेसर के नये खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 11.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 13.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 3.22 हेक्टर कुल रकबा 28.58 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 79 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 11.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.45 हेक्टर कुल रकबा 11.89 हेक्टर भूमि पैमूद हुई। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 केशराराम की शादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से हुई थी, परन्तु केशराराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही उसे छोड़ दिया था तथा तंग व परेशान होकर फांसी खाकर आत्महत्या कर ली तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरस्वती ने केशराराम की मृत्यु के उपरान्त अन्य व्यक्ति बीरबलराम जाट से दुसरा विवाह कर लिया गया था। जिससे बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व अन्य संताने पैदा हुई है, जो मौजूद है। इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत केशराराम की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अपीलांट ही वादग्रस्त भूमि का एकमात्र अधिकारी है। अपीलांट द्वारा इस तथ्य के बाबत अदालत मातहत के समक्ष कारुण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई फाईडिंग्स नहीं दी गई है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया निर्णय है।

उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सरस्वती एवं उसकी पुत्री का हिस्सा मानने में कानूनी भूल कारित की गई है, क्योंकि जब सरस्वती द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया था तब ऐसी स्थिति में पूर्व पति की सम्पति में उसका किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रह जाता है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपना गलत विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता




  
राज्य न्यायालय अपील अधिकारी  
बीकानेर

है। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण तनकीयात् में जैरकार चल रहा था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई तथा स्थानान्तरण होने के पश्चात् पूर्व की तारीख पेशी में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि लॉकडाऊन में बहु पक्षीय सुनवाई नहीं की जावे नाही किसी अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज की जावे। अदालत मातहत द्वारा उच्चतर न्यायालयों के निर्देशों के विपरीत जाकर मात्र रेस्पोंडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।



उन्होंने आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनीदेवी का स्वर्गवास करीब 6 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना ही एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश नलिटी आदेश की परिभाषा में आता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाट् को किसी प्रकार का जवाब, साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जोकि स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोंडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्ली पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट्स की अपीलें स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलाट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 926, एआईआर 1999 केरला पेज 62, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 241, आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 933,


  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

आरआरडी 2014 पेज 146, आरआरडी 2016 पेज 217, आरआरडी 2019 पेज 287, आरआरडी 1984 पेज 156, 45 व 111, आरबीजे 1998 पेज 568, 188, डब्ल्यूएलएन 1988 रेव. पेज 641, एआईआर 2018 उड़ीसा पेज 110, आरबीजे 2009 पेज 483 एससी, आरआरटी 2012 पार्ट II पेज 1267 एचसी, एआईआर 2018 एचपी पेज 137 व आरआरडी 1992 पेज 534 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6.

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम उतमामदेसर के गत् खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 67 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा इस प्रकार कुल 154 बीघा 05 बिस्वा भूमि जेठाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। जेठाराम की पहली पत्नी मघी के कोई औलाद नहीं होने के कारण उनके द्वारा दूसरा विवाह मोहनी के साथ किया। जिसे दो पुत्र अपीलांट आसाराम व केशराराम हुए। जेठाराम के स्वर्गवास के उपरान्त विरासतन इंतकाल अपीलांट तथा उसके भाई केशराराम व माता मोहनी के नाम दर्ज हुआ तथा मघी के नाम अंकित भूमि अपीलांट व उसके भाई केशराराम के नाम दर्ज हुई। केशराराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी आराजी केशराराम की पत्नी व पुत्री में निहित हुई व केशराराम की पत्नी व पुत्री ने अपने नाम अंकित भूमि को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बेचान कर दिया गया। जिसका इंतकाल संख्या 160 व 161 दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील खारिज हो चुकी है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की की बहस सुनने के पश्चात् सभी पक्षकारों के हक व हिस्से का निर्धारण करते हुए कब्जे काश्त/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे, तथा अदालत मातहत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का सदभावी क्रेता मानते हुए केशराराम के धारणा की भूमि के



  
अपील अधिकारी  
बीकानेर

अधिकारी मानते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि अदालत मातहत द्वारा वादप्रक्रिया को अपनाये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के वादग्रस्त भूमि की धोषणा एवं सभी पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन इस आधार पर किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जेठाराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पति/पिता के नाम 1992 में तस्दीक किया गया तथा इसी प्रकार मघी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पति/पिता के नाम 1999 में दर्ज किया गया। जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वादग्रस्त भूमि में केशरराम के हिस्से से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावा मे वादी के अधिकारों को स्वीकार नहीं कर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार होने का अनुतोष चाहा गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा जेठाराम के स्वर्गवास के उपरान्त चढ़े इंतकाल में कानूनन वादिया का नाम दर्ज होना चाहिए था व इसी आधार पर दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम उत्तमादेसर के खसरा नम्बर 44 तादादी 11.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 तादादी 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 तादादी 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 तादादी 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 तादादी 13.10 हेक्टर खसरा नम्बर 137 तादादी 3.22 हेक्टर कुल तादादी 28.58 हेक्टर भूमि में 1/3 हक हिस्से का खातेदार धोषित किया गया है तथा इसी प्रकार काऊण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 6 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम उत्तमादेसर के खसरा नम्बर 79 तादादी 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 11.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 तादादी 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 तादादी 0.45 हेक्टर कुल तादादी 11.89 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 के 1/2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन के आदेश विधि सम्मत तरीके से पारित किये गये है।

प्रकरण में जहाँ तक अपीलाट्स का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। इस



अपील अधिकारी  
बीकानेर

संबंध में न्याय का यह सिद्धान्त है कि न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार जिसके समक्ष यह जानकारी हो, कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है, की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए थी। प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय सभी पक्षकारों के हितों का ध्यान रखा गया है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया आदेश है। ऐसीस्थिति में मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।



विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1986 पेज 596, आरआरडी 1978 पेज 45 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
8. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम उत्तमामदेसर के गत् खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 67 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा इस प्रकार कुल 154 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसके दौराने सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि ग्राम उत्तमामदेसर के नये खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 11.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 13.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 3.22 हेक्टर कुल रकबा 28.58 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 79 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 11.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.45 हेक्टर कुल रकबा 11.89 हेक्टर भूमि पैमूद हुई। उक्त भूमि पूर्व में जेठाराम के नाम दर्ज भूमि रही है। जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है:-

  
राजस्थान हाईकोर्ट अपील अधिकारी  
बीकानेर

जेठाराम (फौत)

मोहनी बेवा फौत

केशराराम फौत

आसाराम


सरस्वती पुर्नविवाह

संजू पुत्री



इस प्रकार उक्त वंशावली के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर जेठाराम की मृत्यु के उपरान्त जेठाराम के तीन वारिस हुए जिसमें जेठाराम की पत्नी व दो पुत्र केशराराम व आसाराम हुए। वादग्रस्त भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र/जवाब दावा/ काऊण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 व 6 प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों का अवलोकन किये जाने के पश्चात् यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जेठाराम के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 के पति/पिता के नाम 1992 में तस्दीक किया गया तथा मघी के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पति/पिता के नाम 1999 में दर्ज किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के अधिकारों की धोषणा जेठाराम के वारिसान रेस्पोंडेन्ट सुन्दर देवी को वादग्रस्त भूमि के सदभावी क्रेता मानते हुए पक्षकारों के मध्य हक व हिस्से का निर्धारण करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। यदि अपीलांट अदालत मातहत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री से किसी प्रकार से व्यथित भी है, तो ऐसी स्थिति में वह अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

प्रकरण में अपीलांट्स का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है, इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि चूंकि अदालत मातहत के समक्ष सभी पक्षकार जरिये अधिवक्ता उपस्थित आते रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस आशय की जानकारी किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती थी। यदि

  
राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

अपीलांट के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे तब भी अदालत मातहत के आदेश के अवलोकन से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील से सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त व्याख्या/आपत्ति स्वीकार योग्य आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020 यथावत बहाल रखे जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12-01-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



8.

**डिकरी ब सीगे अपील**  
(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर  
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

श्रीमती परमेश्वरी बनाम सरस्वती  
(अपील संख्या 01/21)  
बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा  
मुवर्खे 23-10-2020



यह अपील ब-तारीख 12-1-23 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री दिनेश गहलोत मिनजानिब अभिभाषक अपीलांट व श्री सत्यनारायण तिवाड़ी मिनजानिब अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23-10-2020 उपखण्ड अधिकारी, नोखा बहाल किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफसीस जेरे तादादी मुबलिग.....  
-.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....-.....अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख माह सन् को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,  
बीकानेर

12-01-2023

**खर्चा अपील**

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोंडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील.....			1. स्टाम्प वकालतनामा.....		
2. स्टाम्प वकालतनामा .....			2. अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील .....		
मीजान .....			मीजान .....		
..					